कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–सीआईडी / सीवी / पीआरसी / ग्रुप–2 / 13 / 8858-99 दिनांक : 10-9-2013.

पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय रेल्वेज।
समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान,
मय जी.आर.पी. अजमेर / जोधपुर।

विषय :– राज्य में गौवंश के अवैध परिवहन एवं गौकशी पर नियंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य से गौ वंशीय पशुओं को वध करनें के आशय से परिवहन करने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे गौकशी करने वाले गौवंश को कत्ल खानों तक वध के लिए पहुंचा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप लोगों का विरोध प्रदर्शन होता रहता है और कानून–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः निम्न निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के तहत परमिट जारी होने पर ही गौवंशीय पशु का राज्य के बाहर निर्यात किया जाना सुनिश्चित करें।
2. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के अनुसार :–

   (i) नियम 3 में गौवंशीय पशु के अस्थाई प्रव्रजन के लिए परमिट,

   (ii) नियम 4 में कृषि या डेयरी उधोग के प्रयोजनों के लिए निर्यात करने का विशेष परमिट, तथा

   (iii) नियम 5 में पशु मेलों में भाग लेने के लिए विशेष परमिट हेतु प्रावधान हैं।

   इन प्रावधानों की पालना करना सुनिश्चित की जाय। इनके उल्लघंन पर राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन, एक्ट, 1995 की धारा 8 (2) के तहत कार्रवाई की जाए।

3. गौवंश को परिवहन करते हुए पकड़ने पर गौवंश को राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर निर्यात किया जाने और निर्यात का प्रयोजन वध किया जाने या वध होना संभाव्य होने के संबंध में आवश्यक रूप से अनुसंधान किया जाए तथा ऐसा होने पर सावधानी पूर्वक समस्त साक्ष्य संकलित की जाए।

4. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि परिवाहक गौवंशीय पशुओं की लदाई से पूर्व यह सत्यापित करेगा कि पशुओं के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन विधि मान्य विशेष परमिट जारी किया जा चुका है। ऐसा न होने पर वह अधिनियम की धारा 6 अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा जो धारा 8 के तहत दण्डनीय माना जाएगा। इसलिए गौवंश को परिवहन करने वाला साधन पकड़ा जाता है तो परिवाहक के विरूद्ध अपराध बाबत अनुसंधान किया जाना सुनिश्चित करें।

5. पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम, 1960 के तहत पशु परिवहन नियम, 1978 में पशुओं के परिवहन के लिए निम्न नियम प्रतिपादित हैं :–

(i) नियम 47 (a) के प्रावधानों के तहत पशुओं के परिवहन करने से पूर्व पशु शल्य चिकित्सक से निर्धारित प्रारूप में परिवहन हेतु आरोग्य बाबत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

(ii) नियम 48 के अनुसार प्रत्येक पशु समूह के साथ प्राथमिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

(iii) नियम 49 (a) के तहत पशुओं के प्रत्येक समूह का प्रेषण करते समय भेजने वाले एवं पाने वाले का नाम व पता और उनके टेलीफोन नम्बर (यदि हों तो) तथा पशु का प्रकार व संख्या बाबत लाल बड़े अक्षरों में लेबल लगाया जाएगा तथा राशन व भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी तथा नियम 49 (b) के अनुसार प्रेषिति को रेल अथवा वाहन के बारे में पूर्व सूचना दी जाएगी, तथा

(iv) नियम 50 के तहत पशुओं के परिवहन के समय निर्धारित जगह रखने का प्रावधान किया गया है। (वर्ष 2009 के संशोधनानुसार)।

उपरोक्त नियमों के उल्लघंन पर अधिनियम की धारा 38(3) के तहत अर्थ दण्ड से जो सौ रूपये तक हो सकता है अथवा 3 माह तक के कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

6. पशुओं के मेले या अन्यथा विक्रय स्थल होने पर उद्गम स्थान पर ही परमिट की चैकिंग की जाए गंतव्य स्थल के रूट वाले जिलों एवं थानों को इसके संबंध में सूचित किया जाए।

7. बार–बार गौवंश की तस्करी वाले स्थानों पर स्त्रोत विकसित किये जाएं ताकि उद्गम स्थल पर ही कार्रवाई संभव हो सके।

8. गौवंश का परिवहन करते पकड़े जाने पर प्रायः पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) (डी) में प्रकरण प्रमाणित मान कर चालान कर दिया जाता है जिसमें प्रथम अपराध पर केवल 50 रूपये के अर्थ दण्ड का प्रावधान है जबकि इस सम्बन्ध में गहन अनुसंधान किये जाने पर राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों में अपराध प्रमाणित हो सकता है।

9. इन अपराधों के प्रभावी रूप से नियंत्रण के लिए नियमित नाकाबन्दी की जाए तथा सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब घटना स्थल पर पहुंचना तय किया जाए तथा विलम्ब के लिए सम्बन्धित थानाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(कपिल गर्ग)
अति. महानिदेशक पुलिस,
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।